



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63200

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10320 वर्ष 2026**

मोहन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिकेत अग्रवाल, सौरभ केसरवानी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ केसरवानी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री डी.पी.एस. चौहान की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 1184/2025, धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190 बीएनएस, पुलिस स्टेशन-मझोला, जिला मुरादाबाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-आरोपी मयंक प्रथम शिकायतकर्ता के घर आया और मृतक को कुछ काम के बहाने यह कहकर ले गया कि वह कुछ देर बाद लौट आएगा। इसके बाद, मृतक के चाचा जगतपाल ने प्रथम शिकायतकर्ता को सूचित किया कि आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी है। आगे यह भी कहा गया है कि जगतपाल के बयान को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और किसी अन्य व्यक्ति ने घटना को नहीं देखा था। उसने आवेदक को केवल इस आधार पर झूठा फंसाया है कि उसने आवेदक को सह-आरोपी के साथ घटना स्थल के पास से भागते हुए देखा था। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम शिकायतकर्ता और जगतपाल दोनों के बयानों से यह स्पष्ट है कि हत्या का मकसद सह-आरोपी प्रशांत सैनी को सौंपा गया है और आवेदक को केवल आशंका और संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है और सह-आरोपी प्रशांत सैनी से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है। मृत्यु का कारण गोली लगने से हुई मौत है। यह भी बताया गया है कि आवेदक ने संलग्न हलफनामे में दो मामलों के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। यह भी बताया गया है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नागरिक है और वह 09.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, जेलों की भीड़भाड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** मामले में दिए गए फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय का हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मोहन** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा बिना किसी स्थगन की मांग किए।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बांड स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे, ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा भेजी जाए, जो सर्वोच्च न्यायालय के

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत देने की नीति रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो। यह आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।

26 मार्च, 2026

एससी

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।